अनुदान संख्या 28 – पूर्वोत्तर क्षेत्रा विकास मंत्राालय
GRANT No. 28–MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	1253,74,00		1254,24,00	1239,91,86	–14,32,14
पूरक	Supplementary	50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					94,67
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	109,05,00		111,05,00	109,30,17	–1,74,83
पूरक	Supplementary	2,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1432.14 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 50.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीक त प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1432.14 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.50.00 lakhs obtained in March, 2007 and constituted 1 percent of the total sanctioned provision

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	590.00	607.75	604.99	–2.76
पू.	S.	50.00			
पु.	R.	–32.25			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas	.	14300.00	14006.90	–293.10
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	108551.00	108550.00	107533.37	–1016.63
पु.	R.	–1.00			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "आंचलिक परिषद - पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग" के अंतर्गत 590.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 640.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों के कारण 35.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2070" - "Zonal Councils – North Eastern Councils Secretariat, Shillong"- the original provision of Rs.590.00 lakhs was augmented to Rs.640.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.01 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2552" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य विविध मदें" - 376.86 लाख रु. की बचत (6149.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) परामर्शदात्री सेवाओं और अनुसंधान और विकास संबंधी स्कीमों में धीमी प्रगति होने, प्राप्त परियोजनाओं के उपयुक्त न पाए जाने, उपयोग प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने, विद्यार्थियों से समय पर प्रगति रिपोर्ट और नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Other Miscellaneous Items" – saving of Rs.376.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6149.00 lakhs) was due to slow progress of consultancy and R&D Schemes, non-feasibility of projects received, non-receipt of utilisation certificates, progress report and renewal applications from the students in time.

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रा में पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को सहायता" - 174.90 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) अम्ब्रैला स्कीमों

(B) "Support to Projects related with Tourism in NER" – saving of Rs.174.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to discontinuation of umbrella schemes and

को बंद किए जाने और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में नीति में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई।

change of policy in respect of financial assistance to the Non Government Organisations.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्रा के विकास के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल के लिए केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 1016.56 लाख रु. की बचत (70000.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) वर्ष की अंतिम तिमाही में सीमा सड़क संगठन द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601"- "Grants for State Plan Schemes-Block Grants – Central Assistance for the Central Resource Pool for Development of North Eastern Region"- saving of Rs.1016.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.70000.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Border Road Organisation in last quarter of the year.

2. उपर्युक्त बचतें दो शीर्षों के अंतर्गत 158.72 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीक त प्रावधान का 17 प्रतिशत और 20 प्रतिशत थीं।

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.158.72 lakhs under two heads each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent and 20 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (174.83 लाख रु.) दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 87 प्रतिशत और कुल स्वीक त प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.174.83 lakhs) constituted 87 percent of the supplementary grant of Rs.200.00 lakhs obtained in December, 2006 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas	7150.00	6975.17	–174.83

(I) "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर परिषद स्टाफ के लिए आवास/पूर्वोत्तर परिषद अतिथि ग ह" के अंतर्गत 520.57 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) शिलांग में सदस्य के बंगले के लिए भूमि/भवन की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Housing for N.E.C. Staff/NEC Guest House" – saving of Rs.520.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of Land/Buildings for Member's Bunglow in Shillong

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.75 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''सड़क तथा पुल - सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाने वाला आर्थिक महत्व की सड़कों/अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण/सुधार'' - 128.49 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महादेव तोलोई - फुश्तो सड़क के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''नागर विमानन - पूर्वोत्तर क्षेत्रा में विमानपत्तन के सुधार के लिए सहायता'' - 305.00 लाख रु. का अधिक व्यय (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर परिषद द्वारा बजट अनुमान चरण में निधियों की बाध्यता की वजह से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Under one head saving of Rs.87.75 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(A) "Roads and Bridges - Construction/ Improvement of roads of Economic Importance/ Inter State Roads to be executed through the Border Road Organisation" - excess of Rs.128.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of more funds for Mahadev Toloi - Pfutso Road.

(B) "Civil Aviation - Support for improvement of Airport in NE Region" – excess of Rs.305.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to additional requirement of funds owing to funds constraints at budget estimates stage by North Eastern Council.